राज्य योजना आयोग
छत्तीसगढ़ शासन

सतत विकास लक्ष्य
छत्तीसगढ़ डिस्ट्रिक्ट इंडिकेटर फ्रेमवर्क (CG-DIF)

हिन्दी पुस्तिका

वर्ष - 2022

प्रकाशक -

राज्य योजना आयोग,
योजना भवन, नार्थ ब्लॉक, कैपिटल कॉम्प्लेक्स, सेक्टर-19, नवा रायपुर, अटल नगर
टेलीफैक्स: 0771-2511223, 0771-2511232 ईमेलः ms.cgspc@gov.in
वेबसाईट - www.spc.cg.gov.in

सतत विकास लक्ष्यों के जिला स्तर पर अनुश्रवण हेतु निर्धारित छत्तीसगढ़ डिस्ट्रिक्ट इंडिकेटर फ्रेमवर्क (CG-DIF)

(हिन्दी पुस्तिका)

राज्य योजना आयोग
छत्तीसगढ़ शासन

विषय सूची

1	प्रस्तावना		1
2	सतत विकास लक्ष्य (एसडीजी)		3
3	सतत विकास लक्ष्य (एसडीजी) 2030 का उद्देश्य		3
4	वैश्विक स्तर पर सतत विकास लक्ष्य (एसडीजी) 2030 का क्रियान्वयन		3
5	भारत में सतत विकास लक्ष्य (एसडीजी) 2030 का क्रियान्वयन		4
6	छत्तीसगढ़ राज्य में सतत विकास लक्ष्य –2030 का क्रियान्वयन		4
	6.1	सतत विकास लक्ष्य के प्रचार प्रसार, स्थानीयकरण, प्रभावी क्रियान्वयन एवं मजबूत निगरानी तंत्र विकसित करने हेतु राज्य योजना आयोग द्वारा संपादित गतिविधियां	4
	6.2	एस.डी.जी. अनुश्रवण एवं अनुशीलन हेतु संस्थागत व्यवस्था	5
	6.3	SIF (स्टेट इंडीकेटर फ्रेमवर्क)	6
	6.4	DIF (डिस्ट्रिक्ट इंडीकेटर्स फ्रेमवर्क)	7
7	"एस.डी.जी. डिस्ट्रिक्ट इंडिकेटर फ्रेमवर्क" में निर्धारित लक्ष्य एवं इंडिकेटर्स		10
	7.1	लक्ष्य 1 : सभी जगह गरीबी का इसके सभी रूपों में अंत करना	11
	7.2	लक्ष्य 2 : भुखमरी समाप्त करना, खाद्य सुरक्षा और बेहतर पोषण हासिल करना तथा सतत कृषि को बढ़ावा देना	15
	7.3	लक्ष्य 3 : स्वस्थ्य जीवन सुनिश्चित करना और सभी के लिए आजीवन तंदुरुस्ती को बढ़ावा देना	20
	7.4	लक्ष्य 4 : समावेशी और न्यायसंगत गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करना और सभी के लिए आजीवन शिक्षा–प्राप्ति के अवसरों को बढ़ावा देना	24
	7.5	लक्ष्य 5 : लैंगिक समानता हासिल करना और सभी महिलाओं और बालिकाओं का सशक्तिकरण करना	28
	7.6	लक्ष्य 6 : सभी के लिए जल और स्वछता की उपलब्धता और सतत प्रबंधन सुनिश्चित करना	31
	7.7	लक्ष्य 7 : सभी के लिए किफायती, भरोसेमंद, सतत और आधुनिक ऊर्जा की उपलब्धता सुनिश्चित करना	35
	7.8	लक्ष्य 8 : सभी के लिए सतत, समावेशी और संधारनीय आर्थिक विकास, पूर्ण और लाभकारी रोजगार और उचित कार्य को बढ़ावा देना	36
	7.9	लक्ष्य 9 : सुदृढ़ अधोसंरचना के निर्माण से समावेशी एवं सतत औद्योगीकरण व नवाचार को प्रोत्साहन देना	39
	7.10	लक्ष्य 10 : असमानता कम करना	41
	7.11	लक्ष्य 11 : शहरों एवं मानव बस्तियों को समावेशी, सुरक्षित एवं सहनशील तथा सतत बनाना	43
	7.12	लक्ष्य 12 : स्थाई उपभोग और उत्पादन प्रणाली को सुनिश्चित करना	46
	7.13	लक्ष्य 13 : जलवायु परिवर्तन और इसके प्रभाव से निपटने के लिए तत्काल कार्यवाई करना	48
	7.14	लक्ष्य 15 : वन, वन्य जीवन एवं जलीय निकायों का संरक्षण, पुनर्स्थापन तथा जमीनी पर्यावर्णीय तंत्र का सतत उपयोग	50
	7.15	लक्ष्य 16 : सतत विकास और सबको न्याय की पहुच देने सभी स्तरों पर प्रभावी, जवाबदेही एवं समावेशी समाज को बढ़ावा देना	52

प्रस्तावना

छत्तीसगढ़ शासन सतत् विकास लक्ष्यों को त्वरित और समावेशी ढंग से प्राप्त करने की दिशा में कार्यरत है। सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने में सभी हितधारकों की भूमिका महत्वपूर्ण है। चूंकि सतत विकास एक वैश्विक एजेण्डा है, जिसका लगभग पूरे विश्व में कार्यान्वयन किया जा रहा है। अतः सतत विकास लक्ष्य का जिला स्तर तक स्थानीयकरण एक महत्वपूर्ण कदम है।

जिला स्तर पर SDG लक्ष्यों की समीक्षा व अनुश्रवण कार्य में सहायता हेतु राज्य योजना आयोग द्वारा संबंधित विभागो के राज्य स्तरीय एस.डी.जी. नोडल अधिकारियों एवं जिला पंचायत मुख्य कार्यपालन अधिकारियों के साथ विस्तृत चर्चा तथा राज्य शासन के अनुमोदन उपरांत **''छत्तीसगढ़ एस.डी.जी. डिस्ट्रिक्ट इंडिकेटर फ्रेमवर्क (CG-DIF)''** का निर्धारण किया गया है जिसका विमोचन माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा दिनांक 20 अगस्त 2022 को किया गया है। जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में ''जिला स्तरीय एसडीजी क्रियान्वयन एवं निगरानी समिति'' का गठन किया गया है। इस समिति के संयोजक मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत है। समिति द्वारा जिले में एस.डी.जी. संबंधित प्रगति की नियमित समीक्षा किया जाना अपेक्षित है।

''छत्तीसगढ़ एस.डी.जी. डिस्ट्रिक्ट इंडिकेटर फ्रेमवर्क (CG-DIF)'' में शामिल इंडिकेटर्स की पहुँच बढ़ाने हेतु राज्य योजना आयोग द्वारा हिन्दी भाषा में भी पुस्तिका का प्रकाशन किया गया है जिसमें 45 टारगेट्स एवं 82 इंडिकेटर संकेतक चिन्हित है साथ ही इंडिकेटर्स को हासिल करने हेतु योजनाओं की मैपिंग भी की गई है। डिस्ट्रिक्ट इंडिकेटर फ्रेमवर्क की अंग्रेजी

भाशा की प्रति भी राज्य योजना आयोग की वेबसाईट www.spc.cg.gov.in पर उपलब्ध है।

छत्तीसगढ़ राज्य योजना आयोग द्वारा तैयार की गयी यह पुस्तिका एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है जो एक संदर्भ पुस्तिका के रूप में तथा प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए उपयोगी सिद्ध होगी जिसका जिलो के स्तर पर इन विकास लक्ष्यों को समझने के लिए उपयोग किया जा सकता है।

(अनूप कुमार श्रीवास्तव)
सदस्य सचिव
राज्य योजना आयोग

सतत विकास लक्ष्य (एसडीजी)

सतत विकास लक्ष्य (एसडीजी) -

वर्ष 2015 में संयुक्त राष्ट्र द्वारा गरीबी को समाप्त करने और वर्ष 2030 तक सर्वत्र शांति एवं समृद्धि सुनिश्चित करने के लिये सतत विकास लक्ष्य को सार्वभौमिक आह्वान के रूप में अपनाया गया था। सतत विकास लक्ष्य (एसडीजी) या "2030 एजेंडा" बेहतर स्वास्थ्य, गरीबी उन्मूलन और सबके लिए शांति और समृद्ध जीवन सुनिश्चित करने के लिए सर्वगत कार्रवाई का आह्वान करता है। सतत् विकास लक्ष्यों (SDG) को वैश्विक लक्ष्यों के रूप में भी जाना जाता है।

सतत विकास लक्ष्य (एसडीजी) 2030 का उद्देश्य -

SDG का उद्देश्य वर्ष 2030 तक दुनियाभर से गरीबी को समाप्त कर सभी नागरिकों को एक समान सुरक्षित और उत्कृष्ट जीवन देना है। विश्वस्तर पर इस बड़े उद्देश्य को पूरा करने के लिए इसे 17 लक्ष्यों में बांटा गया है।

वैश्विक स्तर पर सतत विकास लक्ष्य (एसडीजी) 2030 का क्रियान्वयन -

ये लक्ष्य अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य 193 राष्ट्रों की सहमति से तैयार किए गए है। 17 सतत् विकास लक्ष्य् और 169 उद्देश्य, सतत् विकास–2030 एजेंडा के अंग हैं। ये एक जनवरी, 2016 से प्रभावी है एवं समस्त राष्ट्र अपनी आर्थिक, भौगोलिक एवं बौद्धिक क्षमतानुसार 17 लक्ष्यों को वर्ष 2030 तक प्राप्त करने की रणनीति पर लगातार कार्य कर रहे हैं । सतत

विकास लक्ष्य के अंतर्गत लिए गए 17 लक्ष्यों में की गई कार्रवाई दूसरे क्षेत्र के परिणामों को प्रभावित करेगी और इनके अंतर्गत सामाजिक, आर्थिक तथा पर्यावरणीय रूप से सतत विकास होगा।

भारत में सतत विकास लक्ष्य (एसडीजी) 2030 का क्रियान्वयन -

भारत में इसे सभी राज्यों, केन्द्र शासित प्रदेशों, नागारिकों, एजेन्सियों संगठनों आदि के द्वारा पूरा किया जाना है। ये 01 जनवरी, 2016 से प्रभावी है। सभी लक्ष्यों को वर्ष 2030 तक पूरा किया जाना है। भारत में सतत विकास लक्ष्य की प्राप्ति हेतु राष्ट्रीय स्तर पर नीति आयोग को नोडल एजेंसी के रूप में नामित किया गया है एवं सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (मोस्पी) को डाटा एजेंसी के रूप में नोडल नामित किया गया है। राष्ट्रीय स्तर पर सतत विकास के 17 Goals, 169 Targets एवं 232 इंडीकेटर्स निर्धारित किये गए। राष्ट्रीय स्तर पर नीति आयोग द्वारा अब तक SDG INDIA INDEX रिपोर्ट की तीन श्रृंखला प्रकाशित की जा चुकी है, जिसके द्वारा प्रत्येक राज्यों को विभिन्न गोल में उनके प्रदर्शन के आधार पर रैंकिंग दी जाती है।

छत्तीसगढ़ राज्य में सतत विकास लक्ष्य -2030 का क्रियान्वयन -

- **सतत विकास लक्ष्य के चार सार, स्थानीयकरण, प्रभावी क्रियान्वयन एवं मजबूत निगरानी तंत्र विकसित करने हेतु राज्य योजना आयोग द्वारा निम्नलिखित गतिविधियां संपादित की गयी है-**

1. सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी) को हितधारक विभाग के साथ मिलान (2016)

2. सतत विकास लक्ष्य (एसडीजी) क्षमता निर्माण पर पुस्तक प्रकाशित (जुलाई 2017)
3. छत्तीसगढ़ एसडीजी विजन डॉक्यूमेंट 2030 का प्रकाशन (मार्च 2019)
4. नवनिर्वाचित विधायक के लिए एसडीजी पर संवेदीकरण और अभिविन्यास कार्यशाला आयोजित (फरवरी 2019)
5. SIF (स्टेट इंडिकेटर फ्रेमवर्क) को अंतिम रूप देने के लिए नीति आयोग, MoSPI, UN एजेंसियों और राज्य विभागों के साथ परामर्श, बैठकें और समन्वय
6. SIF (स्टेट इंडिकेटर फ्रेमवर्क) पुस्तक का माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा विमोचन (जुलाई 2021)
7. माननीय मुख्यमंत्री द्वारा "एस.आई.एफ. बेसलाइन और प्रगति रिपोर्ट –2020" दस्तावेज का विमोचन (जुलाई 2021)
8. माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा "एस.डी.जी. डिस्ट्रिक्ट इंडिकेटर फ्रेमवर्क" का विमोचन (अगस्त 2022)

❖ एस.डी.जी. अनुश्रवण एवं अनुशीलन हेतु संस्थागत व्यवस्था -

छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा सतत विकास लक्ष्य–2030 की प्राप्ति हेतु राज्य योजना आयोग को एसडीजी से संबंधित क्रियान्वयन, मार्गदर्शन एवं मूल्यांकन के लिए नोडल नियुक्त किया। राज्य योजना आयोग द्वारा नीति आयोग से प्राप्त दिशा–निर्देश एवं राज्य सरकार के आदेश दिनांक 23 जनवरी 2021 द्वारा एसडीजी

कार्यान्वयन प्रक्रिया का मार्गदर्शन करने और एसडीजी प्रगति की प्रभावी निगरानी के लिए तीन समितियों का गठन किया गया।

- माननीय मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में **"एसडीजी राज्य स्तरीय संचालन समिति (एसएलएससी)"** का गठन
- मुख्य सचिव की अध्यक्षता में **"एसडीजी राज्य स्तरीय कार्यान्वयन और निगरानी समिति (एसएलआई एमसी)"** का गठन
- जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में **"एसडीजी जिला स्तरीय कार्यान्वयन और निगरानी समिति (डीएलआई एमसी)"** का गठन

❖ SIF (स्टेट इंडीकेटर फ्रेमवर्क)

राज्य स्तर पर एसआईएफ (स्टेट इंडीकेटर्स फ्रेमवर्क) का सृजन सतत विकास लक्ष्य की प्राप्ति की दिशा में पहला कदम है । एसआईएफ के अंतर्गत शामिल किये गए संकेतकों को अंतिम रूप देने के लिए राज्य योजना आयोग द्वारा समस्त विभागों के साथ विभिन्न स्तर पर परामर्श, वर्कशॉप, बैठक कार्यशाला आयोजित की एवं राज्य के सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक एवं पर्यावर्णीय विकास के लक्ष्यों को 2030 तक प्राप्ति हेतु राज्य स्तर पर (SIF) स्टेट इंडीकेटर्स फ्रेमवर्क को अंतिम रूप दिया गया जिसमे 17 ळवंसेए 106 ज्तहमजे और 275 इंडीकेटर्स निर्धारित किये गए। संबंधित विभागो द्वारा

एसआईएफ के लिए आवश्यक डेटा संग्रह के लिए राज्य स्तर पर विभागवार नोडल नियुक्त किया गया ।

❖ DIF (डिस्ट्रिक्ट इंडीकेटर्स फ्रेमवर्क)

राज्य स्तर पर SIF (स्टेट इंडिकेटर फ्रेमवर्क) के निर्धारण पश्चात सतत विकास लक्ष्य (एसडीजी) के जिला स्तर पर स्थानीयकरण हेतु जिला स्तर के सभी हितधारकों के साथ व्यापक बातचीत के आधार पर राज्य योजना आयोग द्वारा एसडीजी की प्रगति एवं निगरानी के लिए **''छत्तीसगढ़ एसडीजी जिला संकेतक फ्रेमवर्क (सीजी–डीआईएफ)''** का निर्माण किया गया। डीआईएफ के मसौदे पर चर्चा के लिए दिसंबर 2021 में जिला अधिकारियों (कलेक्टरों, सीईओ जिला पंचायत और डीपीएसओ) के साथ परामर्श बैठक आयोजित की गई थी। डीआईएफ को अंतिम रूप देने के लिए सभी हितधारक राज्य विभागों के साथ विभिन्न स्तर पर कार्यशालाएं आयोजित की गईं (नवंबर 2021–जून 2022) एवं **"स्टेट इंडिकेटर फ्रेमवर्क"** की तरह **"डिस्ट्रिक्ट इंडिकेटर फ्रेमवर्क"** दस्तावेज का निर्माण किया गया जिसका विमोचन माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा दिनांक 20 अगस्त 2022 को किया गया। डिस्ट्रिक्ट इंडिकेटर फ्रेमवर्क के अंतर्गत जिला स्तर पर 17 Goals, 45 Targets एवं 82 इंडीकेटर्स निर्धारित किये गए ।

जिला स्तर पर एसडीजी कार्यान्वयन की प्रक्रिया का मार्गदर्शन करने एवं एसडीजी प्रगति की प्रभावी निगरानी के लिए छ.ग. शासन, सामान्य प्रशासन विभाग

के आदेश क्र. एफ 9–1/2021/1/5 दिनांक 23/01/2021 द्वारा जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में एसडीजी पर **"जिला स्तरीय कार्यान्वयन और निगरानी समिति (डीएलआईएमसी)"** का गठन किया गया है। इस समिति के संयोजक जिला पंचायत के सीईओ सह–संयोजक डी.पी.एस.ओ. होते हैं। उक्त समिति में संबंधित विभागो के जिला अधिकारी–सदस्य होते है। समिति के निम्नांकित कार्य हैं –

- जिला और ब्लॉक स्तर पर सतत विकास लक्ष्य (एसडीजी) के प्रचार प्रसार एवं स्थानीयकरण के लिए कार्य।
- जिले में सतत विकास लक्ष्य (एसडीजी) के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए कार्य।
- राज्य को डिस्ट्रिक्ट इंडिकेटर फ्रेमवर्क (DIF) संकेतकों के लिए डेटा प्रदान।
- जिला स्तरीय कार्यान्वयन और निगरानी समिति (डीएलआईएमसी) की बैठक का हर तिमाही में आयोजन।

राज्य योजना आयोग द्वारा एस.डी.जी. के राज्य एवं जिला स्तर पर बेहतर अनुश्रवण एवं अनुशीलन हेतु तैयार किये गये फ्रेमवर्क एवं रिपोर्ट यथा –

(1) स्टेट इंडिकेटर फ्रेमवर्क (SIF)

(2) एस.आई.एफ. बेसलाईन एवं प्रोग्रेस रिपोर्ट

(3) डिस्ट्रिक्ट इंडिकेटर फ्रेमवर्क (DIF)

को अंग्रेजी बुकलेट के रूप में जारी किया गया है, उक्त बुकलेट राज्य योजना आयोग की वेबसाईट (www.spc.cg.gov.in) पर उपलब्ध है। जिला स्तर के सभी संबंधित हितधारको को **"डिस्ट्रिक्ट इंडिकेटर फ्रेमवर्क"** में निर्धारित लक्ष्यों एवं इंडिकेटर्स की जानकारी प्रदाय व संकेतको की पहुंच बढ़ाने हेतु हिन्दी भाषा में भी इस बुकलेट के रूप में तैयार किया गया है।

"एस.डी.जी. डिस्ट्रिक्ट इंडिकेटर फ्रेमवर्क" में निर्धारित लक्ष्य एवं इंडिकेटर्स

कुल लक्ष्य - 45, कुल इंडिकेटर्स - 82

लक्ष्य 1 : गरीबी की समाप्ति लक्ष्य - 02 इंडिकेटर्स - 06	NO POVERTY	लक्ष्य 2 : भूखमरी से मुक्ति लक्ष्य - 03 इंडिकेटर्स - 07	ZERO HUNGER
GOOD HEALTH AND WELL-BEING	लक्ष्य 3 : लोगों के लिए स्वास्थ्य और आरोग्यता लक्ष्य - 06 इंडिकेटर्स - 07	QUALITY EDUCATION	लक्ष्य 4 : गुणवत्तापरक शिक्षा लक्ष्य - 05 इंडिकेटर्स - 09
लक्ष्य 5 : लैंगिक समानता लक्ष्य - 05 इंडिकेटर्स - 06	GENDER EQUALITY	लक्ष्य 6 : जल एवं स्वच्छता लक्ष्य - 04 इंडिकेटर्स - 10	CLEAN WATER AND SANITATION
AFFORDABLE AND CLEAN ENERGY	लक्ष्य 7 : किफायती और स्वच्छ ऊर्जा लक्ष्य - 01 इंडिकेटर्स - 02	DECENT WORK AND ECONOMIC GROWTH	लक्ष्य 8 : उत्कृष्ट कार्य और आर्थिक विकास लक्ष्य - 02 इंडिकेटर्स - 05
लक्ष्य 9 : उद्योग, नवाचार और बुनियादी ढांचे का विकास लक्ष्य - 02 इंडिकेटर्स - 02	INDUSTRY INNOVATION AND INFRASTRUCTURE	लक्ष्य 10 : असमानताओं में कमी लक्ष्य - 02 इंडिकेटर्स - 03	REDUCED INEQUALITIES
SUSTAINABLE CITIES AND COMMUNITIES	लक्ष्य 11 : संवहनीय शहरी और सामुदायिक विकास लक्ष्य - 03 इंडिकेटर्स - 07	RESPONSIBLE CONSUMPTION AND PRODUCTION	लक्ष्य 12 : जिम्मेदारी के साथ उपभोग और उत्पाद लक्ष्य - 02 इंडिकेटर्स - 06
लक्ष्य 13 : जलवायु कार्यवाही लक्ष्य - 02 इंडिकेटर्स - 02	CLIMATE ACTION	लक्ष्य 14 : जलीय जीवों की सुरक्षा (जल में जीवन)	LIFE BELOW WATER
LIFE ON LAND	लक्ष्य 15 : थलीय जीवों की सुरक्षा (स्थलीय पारिस्थितिक में जीवन) लक्ष्य - 02 , इंडिकेटर्स - 02	PEACE, JUSTICE AND STRONG INSTITUTIONS	लक्ष्य 16 : शांति, न्याय और सशक्त संस्थाएं लक्ष्य - 04 इंडिकेटर्स - 08
लक्ष्य 17 : लक्ष्यों के लिए भागीदारी			

लक्ष्य 14 , जो महासागरों तथा समुद्री संसाधनों के संरक्षण से संबंधित है तथा लक्ष्य 17, जो वैश्विक भागीदारी से संबंधित है, छत्तीसगढ़ के परिप्रेक्ष्य में लागू नहीं है।

लक्ष्य 1
सभी जगह गरीबी का इसके सभी रूपों में अंत करना
टारगेट -02 इंडीकेटर्स -06

1.2 गरीबी के सभी आयामों में जीवनयापन कर रहे सभी उम्र के पुरुषों, महिलों और बच्चों की संख्या, जो राष्ट्रीय परिभाषाओं के अनुसार है, को 2030 तक आधा करना।

1.2.1 डिस्ट्रिक्ट एमपीआई स्कोर

1.3 गरीब एवं कमजोर समस्त वर्गों को 2030 तक राष्ट्रीय रूप से उपयुक्त सामाजिक संरक्षण प्रणाली के अंतर्गत शामिल करना ।

1.3.1 परिवार के किसी भी सामान्य सदस्य का किसी स्वास्थ्य योजना या स्वास्थ्य बीमा द्वारा कवर किए जाने का प्रतिशत।

1.3.2 सामाजिक सुरक्षा योजनाओं में शामिल जनसंख्या का प्रतिशत (वृद्धावस्था/विधवा, तलाकशुदा, परित्यक्त, निराश्रित/विकलांग)।

1.3.3 महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) के तहत रोजगार की मांग करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध रोजगार प्राप्त व्यक्तियों का प्रतिशत ।

1.3.4 मनरेगा में पंजीकृत विकलांग व्यक्तियों के अनुपात में मनरेगा में काम करने वाले विकलांग व्यक्तियों की संख्या।

1.3.5 कच्चे घरों में रहने वाले ग्रामीण परिवारों का प्रतिशत।

प्रमुख विभाग– पंचायत एवं ग्रामीण विकास, वित्त विभाग, समाज कल्याण विभाग

महत्वपूर्ण योजनाएं एवं कार्यक्रम:

राज्य शासित महत्वपूर्ण योजना	केंद्र शासित योजना
डॉ. खूबचंद बघेल स्वास्थ्य सहायता योजना	आत्मानिर्भर कुशल कर्मचारी नियोक्ता मैपिंग (असीम)
गोधन न्याय योजना	पीएम स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि (पीएम स्वनिधि)
मुख्यमंत्री विशेष स्वास्थ्य बीमा योजना	प्रधानमंत्री गरीब कल्याण रोजगार अभियान
ई–रिक्शा सब्सिडी योजना	SWADES (रोजगार सहायता के लिए कुशल श्रमिक आगमन डेटाबेस) कौशल कार्ड योजना
नरवा गरुआ घुरवा बाड़ी (NGGB)	प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना (पीएमएसवाई)
मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान	प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना (पीएमकेएमवाई)
मुख्यमंत्री शहरी आजीविका मिशन (MULM)	प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना (पीएम–एसवाईएम)
मुख्यमंत्री समग्र ग्रामीण विकास योजना	वरुण मित्र योजना
मुख्यमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम	अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना
मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना	प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम (पीएमजेवीके)
मुख्यमंत्री कन्यादान योजना	दीनदयाल अंत्योदय योजना – राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (डीएवाई – एनयूएलएम)
राजीव गांधी किसान न्याय योजना	महात्मागांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा)
मुख्यमंत्री पेंशन योजना	प्रधानमंत्रीआदर्श ग्राम योजना (पीएमएजीवाई)

राज्य शासित महत्वपूर्ण योजना	केंद्र शासित योजना
पोषण बाड़ी विकास योजना	प्रधानमंत्रीजन विकास कार्यक्रम (पीएमजेवीके)
जैविक खाद उत्पादन प्रोत्साहन योजना	राष्ट्रीयसामाजिक सहायता कार्यक्रम (एनएसएपी) – इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विकलांगता पेंशन योजनाएं (आईजीएनडीपीएस)
टपक सिंचाई योजना	NSAP - इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना (IGNOAPS)
मुख्यमंत्री पंचायत सशक्तिकरण योजना	एनएसएपी – इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना (आईजीएनडब्ल्यूपीएस)
सुखद सहारा योजना	एनएएसपी – राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना (एनएफबीएस)
राजीव गांधी स्वावलंबन योजना	दीनदयाल उपाध्याय – ग्रामीण कौशल योजना (डीडीयू – जीकेवाई)
केंद्र शासित योजना	डे – एनयूएलएम – शहरी बेघरों के लिए आश्रय (एसयूएच)
प्रधानमंत्री राष्ट्रीय स्वास्थ्य सुरक्षा मिशन (PMRSSM) – आयुष्मान भारत योजना	प्रधानमंत्री आवास योजना– ग्रामीण (पीएमएवाई–जी)
सुरक्षित मातृत्व आश्वासन (सुमन) योजना	प्रधानमंत्री जन धन योजना (पीएमजेडीवाई)
पूरक पोषण कार्यक्रम (एसएनपी)	प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना (पीएमजीकेवाई)
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (NHM) – प्रजनन मातृ नवजात शिशु और किशोर स्वास्थ्य (RMNCH+A)	प्रधानमंत्री अटल पेंशन योजना (पीएमएपीवाई)
स्वच्छ भारत मिशन – ग्रामीण (एसबीएम – आर + यू)	प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना (पीएमजेजेबीवाई)
राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (एनआरडीडब्ल्यूपी)	प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (पीएमएसबीवाई)
कायाकल्प और शहरी परिवर्तन के लिए अटल मिशन (अमृत)	प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (पीएमएफबीवाई)
स्मार्ट सिटीज मिशन	प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना (पीएमयूवाई)

राज्य शासित महत्वपूर्ण योजना	केंद्र शासित योजना
जल जीवन मिशन (JJM)	राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना (RSBY)
प्रधानमंत्री जी–वन योजना	प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (पीएमएमवाई)
सौभाग्य योजना	महिला एसएचजी को इनपुट सहायता (आरकेवीवाई)
राष्ट्रीय चक्रवात जोखिम शमन परियोजना (एनसीआरएमपी)	वरिष्ठ नागरिकों के लिए सावधि जमा योजना
नदी बेसिन प्रबंधन	बाजार हस्तक्षेप योजना और मूल्य समर्थन योजना (एमआईएस–पीएसएस)
बाढ़ प्रबंधन और सीमा क्षेत्र कार्यक्रम	वनधन योजना
जल संसाधन सूचना प्रणाली का विकास	राष्ट्रीय चक्रवात जोखिम शमन परियोजना (एनसीआरएमपी)
प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना (पीएमकेकेकेवाई)	प्रधानमंत्री वय वंदना योजना (PMVVY)
अनुसूचित जातियों और अन्य कमजोर समूहों के विकास के लिए छाताकार्यक्रम	NEAT आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लर्निंग स्कीम
जनजातीय उप–योजना (एससीए से टीएसएस) को विशेष केंद्रीय सहायता	विकलांग व्यक्तियों को फिटिंग उपकरण (एडीआईपी) की खरीद के लिए सहायता
विकलांग व्यक्तियों को फिटिंग उपकरण (एडीआईपी) की खरीद के लिए सहायता	आम आदमी बीमा योजना (AABY)

लक्ष्य 2

भुखमरी समाप्त करना, खाद्य सुरक्षा और बेहतर पोषण हासिल करना तथा सतत कृषि को बढ़ावा देना

टारगेट -03 इंडीकेटर्स -07

2.1 सभी लोगों, विशेष रूप से गरीब और दयनीय स्थितियों में रह रहे लोगों, शिशुओं को वर्षभर सुरक्षित, पोषक और पर्याप्त भोजन उपलब्ध कराना तथा 2030 तक भुखमरी समाप्त करना।

2.1.1 कम वजन वाले 5 वर्ष से अल्प आयु के बच्चों का प्रतिशत (आयु एवं वजन के आधार पर)

2.1.2 छत्तीसगढ़ राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2012 के अंतर्गत आने वाले लाभार्थियों का अनुपात (प्रतिशत में)

2.2 पाँच वर्ष से कम आयु के बच्चों की कमजोरी और विकास को अवरुद्ध करने संबंधी अंतर्राष्ट्रीय रूप से सहमत लक्ष्यों को 2025 तक प्राप्त करना एवं 2030 तक कुपोषण के सभी रूपों को समाप्त करने सहित किशोरियों, गर्भवती तथा स्तनपान कराने वाली महिलाओं और वृद्धों की पोषण आवश्यकताओं को पूरा करना।

2.2.1 कम वजन वाले 5 वर्ष से अल्प आयु के बच्चों का प्रतिशत (उम्र एवं कद के आधार पर)

2.2.2 रक्ताल्पता से ग्रस्त 15–49 वर्ष की आयु की गर्भवती महिलाओ का प्रतिशत (<11.0 ग्राम/डीएल) (%)

2.2.3 एनीमिया से ग्रस्त किशोर बालिकाओ (15–19 वर्ष) का प्रतिशत

2.3 मूल्य वर्धित और गैर कृषि रोजगार के लिए भूमि, अन्य उत्पादक संसाधनों और आदानों, जानकारी, वित्तीय सेवाएं, बाजार और अवसरों के सुरक्षित और समान अवसरों के माध्यम से लघु उद्योग खाद्य उत्पादकों विशेष रूप से महिलाओं, स्वदेशी लोगों, किसान परिवारों, चरवाहों तथा मछुआरों की कृषि उत्पादकता और आय को 2030 तक दोगुना करना।

2.3.1 चावल की उत्पादकता (किलो प्रति हेक्टेयर में)

2.3.1 गेहूँ की उत्पादकता (किलो प्रति हेक्टेयर में)

प्रमुख विभाग – कृषि एवं जैव प्रौद्योगिकी विभाग, महिला एवं बाल विकास विभाग, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग

महत्वपूर्ण योजनाएं एवं कार्यक्रम:

राज्य शासित महत्वपूर्ण योजना	केंद्र शासित योजना
यूनिवर्सल पीडीएस सब्सिडी वाली खाद्यान्न योजना	प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (पीएमजीकेवाई)
मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान	सुरक्षित मातृत्व आश्वासन (सुमन) योजना
मुख्यमंत्री हाट बाजार क्लिनिक योजना	पूरक पोषण कार्यक्रम (एसएनपी)

राज्य शासित महत्वपूर्ण योजना	केंद्र शासित योजना
राजीव गांधी किसान न्याय योजना	खाद्य सुरक्षा मित्र योजना
मुख्यमंत्री खाद्य सहायता योजना	एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना
यूनिवर्सल हेल्थ केयर स्कीम (यूएचएस)	अन्नपूर्णा योजना
चना प्रदाय योजना	मध्याह्न भोजन योजना
आयोडीनयुक्त अमृत नमक वितरण योजना	प्रधानमंत्री राष्ट्रीय स्वास्थ्य सुरक्षा मिशन (पीएमआरएसएसएम) – आयुष्मान भारत योजना
शक्कर प्रदाय योजना	प्रधानमंत्री राष्ट्रीय पोषण मिशन (पोषण अभियान)
महातारी जतन योजना	राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (NHM) – प्रजनन मातृ नवजात शिशु और किशोर स्वास्थ्य (RMNCH+A)
मुख्यमंत्री बाल सन्दर्भ योजना	स्त्री स्वाभिमान पहल
शाकंभरी योजना	राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन – चावल (एनएफएसएम)
लघु सिंचाई टैंक	पूर्वीभारत में हरित क्रांति लाना (BGREI)
जैविक खेती मिशन	राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन – दालें
सुरजी गांव योजना	चावल के परती क्षेत्रों को लक्षित करना
मधुर गुड़ वितरण योजना	राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन – दालों के अंतर्गत अतिरिक्त क्षेत्र

राज्य शासित महत्वपूर्ण योजना	केंद्र शासित योजना
किशोरी बालिका योजना	उप – कृषि मशीनीकरण मिशन (NMAET)
सूक्ष्म लघु सिंचाई योजना	कृषितंत्र और उपकरणों का लोक प्रियकरण (आरकेवीवाई)
बागान फलोद्यान विकास योजना	व्यक्तिगत स्वामित्व वाले बोरवेल और क्लस्टर माइक्रो रिवर लिफ्ट आरकेवीवाई के माध्यम सेसिंचाई क्षमता बढ़ाएं
चिराग योजना	प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (पीएमएफबीवाई)
गोधन न्याय योजना	एमजीएनआरईजीएस
कृषक समग्र विकास योजना	बागवानी के एकीकृत विकास के लिए मिशन (MIDH)
सामुदायिक बाड़ योजना	राष्ट्रीय मिशन चालू। तिलहन और पाम ऑयल (NMOOP)
मुख्यमंत्री बाल मधुमेह योजना	प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (पीएमकेएसवाई)
मुख्यमंत्री अमृत योजना	राष्ट्रीय पशुधन मिशन
फसल अवशेष प्रबंधन के लिए कृषि यंत्रीकरण प्रोत्साहन योजना	अंतर्देशीय विकास (समुद्री और बीडब्ल्यू सेक्टर के नए खारे पानी के तालाब)
किसानों की सत्यता का कायाकल्प और आणविक वर्गीकरण (आरकेवीवाई)	राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आरकेवीवाई)
गौ जातीय प्रजनन और डेयरी विकास के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम	सतत कृषि के लिए राष्ट्रीय मिशन के वर्षा सिंचित क्षेत्र विकास घटक

राज्य शासित महत्वपूर्ण योजना	केंद्र शासित योजना
प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना (पीएमएमवीवाई)	मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन और मृदा स्वास्थ्य कार्ड– सतत कृषि पर राष्ट्रीय मिशन (एनएमएसए)
प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना	परंपरागत कृषि विकास योजना (पीकेवीवाई) – सतत कृषि के लिए राष्ट्रीय मिशन (एनएमएसए)
एनीमिया मुक्त भारत	NMSA के तहत पुनर्गठित राष्ट्रीय बांस मिशन
प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना	परंपरागत कृषि विकास योजना (पीकेवीवाई) – सतत कृषि के लिए राष्ट्रीय मिशन (एनएमएसए)
एनीमिया मुक्त भारत	NMSA के तहत पुनर्गठित राष्ट्रीय बांस मिशन

लक्ष्य 3
स्वस्थ्य जीवन सुनिश्चित करना और सभी के लिए आजीवन तंदुरूस्ती को बढ़ावा देना
टारगेट -06 इंडीकेटर्स -07

3.1 वैश्विक मातृ मृत्यु दर को 2030 तक, 70 प्रति 1,00,000 जीवित जन्म से कम करना

3.1.1 संस्थागत प्रसव का प्रतिशत (सी–सेक्शन सहित)

3.2 नवजात शिशुओं और 5 साल से कम उम्र के बच्चों की रोकी जा सकने वाली मौतों को 2030 तक समाप्त करना, सभी देशों का लक्ष्य नवजात मृत्यु दर को कम से कम 12 प्रति 1,000 जीवित जन्म और 5 से कम उम्र के बच्चों की मृत्यु दर को कम से कम 25 प्रति 1,000 जीवित जन्म तक कम करना है।

3.2.1 पांच वर्ष से कम आयु वाले बच्चों का प्रति 1,000 जीवित जन्म पर मृत्यु दर

3.2.2 (12–23) महीने के बच्चों का पूर्ण टीकाकरण का प्रतिशत

3.3 एड्स, क्षय रोग, मलेरिया और उपेक्षित उष्ण कटिबंधीय रोगों की महामारी को 2030 तक रोकना और हेपाटाइटिस, जल जनित और अन्य संचारी रोगों का मुकाबला करना।

3.3.1 प्रति 1,00,000 जनसंख्या पर क्षय रोग की घटना

3.4 रोकथाम और उपचार के जरिए असंचारी रोगों से होने वाली अपरिपक्व मृत्यु दर में 2030 तक एक तिहाई की कमी करना और मानसिक स्वास्थ्य तथा सलामती को प्रोत्साहित करना।

3.4.1 प्रति 1,00,000 जनसंख्या पर आत्महत्या मृत्यु दर

3.6 सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली वैश्विक मृत्यु और आघात की संख्या को 2030 तक आधा करना।

3.6.1 प्रति 1,00,000 जनसंख्या पर सड़क दुर्घटनाओं में मारे गए/घायल लोग की संख्या

3.8 वित्तीय जोखिम सुरक्षा सहित सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज, गुणवत्ता परक आवश्यक स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं तक पहुँच एवं सभी के लिए सुरक्षित, गुणवत्तात्मक, सस्ती दवाईयाँ और टीके उपलब्ध कराना।

3.8.1 प्रति 10,000 जनसंख्या पर कुल चिकित्सक, नर्स और दाई की संख्या

प्रमुख विभाग– स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, महिला एवं बाल विकास विभागलोक निर्माण विभाग, परिवहन विभाग

महत्वपूर्ण योजनाएं एवं कार्यक्रम:

राज्य शासित महत्वपूर्ण योजना	केंद्र शासित योजना
डॉ. खूबचंद बघेल स्वास्थ्य सहायता योजना	राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) – आरएमएनसीएच+ए और स्वास्थ्य प्रणाली सुदृढ़ीकरण
मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान	पूरक पोषण कार्यक्रम (एसएनपी)
यूनिवर्सल हेल्थ केयर स्कीम (यूएचएस)	एकीकृत बाल विकास सेवा (आईसीडीएस)
मुख्यमंत्री दवापेटी योजना	राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम (एनएसीपी)
मुख्यमंत्री बाल हृदय सुरक्षा योजना	एनएचएम–संशोधित राष्ट्रीय टी.बी. नियंत्रण कार्यक्रम (आरएनटीसीपी)
मुख्यमंत्री बाल श्रवण योजना	एनएचएम–राष्ट्रीय वेक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम (एनवीबीडीसीपी)
मुख्यमंत्री शहरी स्वास्थ्य योजना	NHM– राष्ट्रीय कुष्ठ उन्मूलन कार्यक्रम (NLEP)
सिकल सेल नियंत्रण कार्यक्रम	एनएचएम–नियमित टीकाकरण (आरआई)
मुख्यमंत्री हाट बाजार क्लिनिक योजना	राष्ट्रीय नदी संरक्षण कार्यक्रम
दाई–दीदी क्लिनिक योजना	अनुसंधान एवं विकास और राष्ट्रीय जल मिशन का कार्यान्वयन
महतारी जतन योजना	प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना (पीएमएमवीवाई)

राज्य शासित महत्वपूर्ण योजना	केंद्र शासित योजना
किशोरी बालिका योजना	राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम
स्वस्थ पंचायत योजना	मनोदर्पण योजना
मुख्यमंत्री बाल मधुमेह योजना	सुरक्षित मातृत्व आश्वासन (सुमन) योजना
मुख्यमंत्री चिकित्सा फैलोशिप योजना	फिट इंडिया मूवमेंट
	महिलाओं के लिए उज्ज्वला सेनेटरी नैपकिन योजना
	प्रधानमंत्री जन आरोग्य अभियान
	प्रधानमंत्री राष्ट्रीय पोषण मिशन (पोषण अभियान)
	स्त्री स्वाभिमान पहल
	प्रधानमंत्री राष्ट्रीय स्वास्थ्य सुरक्षा मिशन (PMRSSM) – आयुष्मान भारत योजना
	प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान

लक्ष्य 4

समावेशी और न्यायसंगत गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करना और सभी के लिए आजीवन शिक्षा-प्राप्ति के अवसरों को बढ़ावा देना

टारगेट -05 इंडीकेटर्स -09

4.1 2030 तक, यह सुनिश्चित करना कि सभी लड़कियों और लड़कों द्वारा निःशुल्क, साम्यिक और गुणवत्तापूर्ण प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा पूरी की जाए ताकि शिक्षा प्राप्ति के सुसंगत और कारगर परिणाम प्राप्त हो।

4.1.1 प्राथमिक (कक्षा 1–8) शिक्षा में समायोजित शुद्ध नामांकन अनुपात

4.1.2 उच्च माध्यमिक (कक्षा 11–12) शिक्षा में सकल नामांकन अनुपात

4.1.3 राष्ट्रीय स्तर पर परिभाषित सीखने के परिणामों के संदर्भ में ग्रेड 8 में कम से कम न्यूनतम दक्षता स्तर प्राप्त करने वाले उपरोक्त प्रत्येक ग्रेड के अंत में विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त किए जाने वाले दक्षता का प्रतिशत

4.1.4 माध्यमिक स्तर (कक्षा 9–10)पर औसत वार्षिक स्कूल छोड़ने की दर

4.2 2030 तक, सभी महिलाओं और पुरुषों के लिए विश्वविद्यालय सहित किफायती और गुणवत्तापूर्ण तकनीकी, व्यावसायिक और तृतीयक शिक्षा की समान रूप से सुलभता सुनिश्चित करना।

4.2.1 उच्च शिक्षा में सकल नामांकन अनुपात (जीईआर)

4.3 ऐसी शैक्षिक सुविधाओं का निर्माण और स्तरोन्नयन करना जो बच्चों, निःशक्तता और स्त्री–पुरुष समानता के प्रति संवेदनशील हों और सभी के लिए शिक्षा प्राप्ति के सुरक्षित, अहिंसात्मक, समावेशी और कारगर परिवेश उपलब्ध कराती हों।

4.3.1 बुनियादी पेयजलसुविधा वाले स्कूलों का अनुपात

4.3.2 बुनियादी स्वच्छता सुविधाएं वाले स्कूलों का अनुपात

4.4 2030 तक, विकासशील देशों, विशेषकर अल्प विकसित देशों और लघु द्वीप विकासशील राज्यों में, शिक्षक प्रशिक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के माध्यम से अर्हता प्राप्त शिक्षकों की आपूर्ति में वृद्धि करना।

4.4.1 माध्यमिक (कक्षा 9–10)स्तर पर प्रशिक्षित शिक्षकों का अनुपात

4.4.2 माध्यमिक (कक्षा–9–10)स्तर पर छात्र शिक्षक अनुपात

प्रमुख विभाग– स्कूल शिक्षा विभाग, कौशल विकास, तकनीकी शिक्षा एवं रोजगार विभाग, उच्च शिक्षा विभाग, महिला एवं बाल विकास विभाग, समाज कल्याण विभाग

महत्वपूर्ण योजनाएं एवं कार्यक्रम:

राज्य शासित महत्वपूर्ण योजना	केंद्र शासित योजना
पढ़ाई तुहर द्वार	राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020
स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल	निष्ठा शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम
गणवेश प्रदाय योजना	सत्यभामा – खनन उन्नति में आत्मानिर्भर भारत के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी योजना
सरस्वती साइकिल योजना	उच्च शिक्षा में परामर्श योजना
मॉडल स्कूल योजना	शिक्षा ऋण के लिए ऋण गारंटी निधि योजना (सीजीएफईएल)
पोटा केबिन	केंद्रीय क्षेत्र ब्याज सब्सिडी योजना (सीएसआईएस)
निःशुल्क पथ्यपुस्तक प्रज्ञा योजना	शिक्षुता और कौशल में उच्च शिक्षा युवाओं के लिए योजना (श्रेयस)
प्रयास (विशेषकोचिंग योजना)	शिक्षा में बुनियादी ढांचे और प्रणालियों का पुनरुद्धार – उदय योजना
मुख्यमंत्री गायन प्रोत्साहन योजना	समग्र शिक्षा अभियान
मुख्यमंत्री ज्ञान प्रोत्साहन पहल योजना	एकीकृत बाल विकास सेवा (आईसीडीएस) – प्री–स्कूल
कन्या साक्षरता प्रोत्साहन योजना	राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अविजन (रूसा)

राज्य शासित महत्वपूर्ण योजना	केंद्र शासित योजना
एससी एसटी और ओबीसी छात्रों के लिए प्री–मैट्रिक छात्रवृत्ति	तकनीकी शिक्षा गुणवत्ता सुधार कार्यक्रम (TEQIP)
राज्य छात्रवृत्ति योजना	माध्यमिक शिक्षा –मदरसों अल्पसंख्यकों और विकलांगों को शिक्षा प्रदान करने की योजना
विकलांग छात्रवृत्ति योजना	सर्व शिक्षा अभियान
डीटीई छत्तीसगढ़ छात्रवृत्ति	प्राथमिक शिक्षा के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम पोषाहार सहायता (एमडीएम)
विद्यार्थी बीमा योजना	राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान (आरएमएसए)
युवा करियर निर्माण योजना	शिक्षक प्रशिक्षण और प्रौढ़ शिक्षा सहित शैक्षिक विकास के लिए सहायता
जवाहर उत्कर्ष योजना	
छात्र भोजन सहाय योजना	

लक्ष्य 5
लैंगिक समानता हासिल करना और सभी महिलाओं और बालिकाओं का सशक्तिकरण करना
टारगेट -05 इंडीकेटर्स -06

5.1 सभी महिलाओं और बालिकाओं के विरुद्ध सभी प्रकार के भेदभावों का सभी जगह अंत करना।

5.1.1 प्रति 1,00,000 महिला जनसंख्या पर महिलाओं के विरुद्ध अपराध की दर

5.1.2 जन्म के समय लिंगानुपात

5.2 सार्वजनिक और निजी मेलों में सभी महिलाओं और बालिकाओं के विरुद्ध सभी प्रकार की हिंसा का अंत करना जिसमें ट्रैफिकिंग और यौन तथा अन्य प्रकार के शोषण भी शामिल हैं।

5.2.1 प्रति लाख महिलाएं जिन्होंने कैलेंडर वर्ष के दौरान पति या उनके रिश्तेदार द्वारा क्रूरता / शारीरिक हिंसा का अनुभव किया है

5.3 राजनैतिक, आर्थिक और लोक–जीवन में निर्णय लेने के सभी स्तरों पर महिलाओं के लिए नेतृत्व के समान अवसर तक पूर्ण और कारगर सहभागिता सुनिश्चित करना।

5.3.1 स्थानीय स्वशासन (त्रिस्तरीय पंचायत और शहरी स्थानीय निकाय चुनाव) में महिलाओं द्वारा प्राप्त सीटों का अनुपात (प्रतिशत में)

5.4 जनसंख्या और विकास संबंधी अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के कार्रवाई के कार्यक्रम और बीजिंग कार्रवाई प्लैटफॉर्म तथा

उनके समीक्षा सम्मेलनों के परिणाम दस्तावेजों के अनुसार यथा सम्मत प्रजनक स्वास्थ्य एवं प्रजनक अधिकारों तक सर्वव्यापक पहुंच सुनिश्चित करना

5.4.1 वर्तमान में 15–49 वर्ष की आयु की विवाहित महिलाओं के लिए परिवार नियोजन की अधूरी आवश्यकता (प्रतिशत में)

5.5 महिलाओं को राष्ट्रीय कानूनों के अनुसार, भूमि और अन्य प्रकार की सम्पत्ति, वित्तीय सेवाओं, विरासत तथा प्राकृतिक संसाधनों के स्वामित्व और नियंत्रण की सुलभता के साथ–साथ आर्थिक संसाधनों के संबंध में समान अधिकार प्रदान करने हेतु सुधार करना।।

5.5.1 महिला परिचालन भूमि जोत (महिला संचालित परिचालन जोत)

प्रमुख विभाग– महिला एवं बाल विकास विभाग, समाज कल्याण विभाग, इलेक्ट्रोनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग

महत्वपूर्ण योजनाएं एवं कार्यक्रम:

राज्य शासित महत्वपूर्ण योजना	केंद्र शासित योजना
शक्ति स्वरूप योजना	बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ
सबला योजना	स्वाधार गृह (कठिन परिस्थितियों में महिलाओं का पुनर्वास)
ग्रामीण महिला दिशा दर्शन योजना	उज्जवला

राज्य शासित महत्वपूर्ण योजना	केंद्र शासित योजना
मुख्यमंत्री कन्यादान योजना	वन स्टॉप सेंटर
शक्ति स्वरूप योजना	बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ
नोनी सुरक्षा योजना	यौन अपराधों के लिए जांच ट्रैकिंग प्रणाली
किशोरी शक्ति योजना	यौन अपराधियों पर राष्ट्रीय डेटाबेस (एनडीएसओ)
महिला कोष योजना	आपातकालीन प्रतिक्रिया सहायता प्रणाली (ईआरएसएस)
सखी– वन स्टॉप सेंटर	मिशन शक्ति
महिला जागृति शिविर	राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) – आरएमएनसीएच+ए और स्वास्थ्य प्रणाली सुदृढ़ीकरण
सक्षम योजना	मातृत्व अवकाश प्रोत्साहन योजना
स्वावलंबन योजना	दीनदयाल अंत्योदय योजना – राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (डीएवाई – एनआरएलएम)
मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना	इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना सहित महिला सशक्तिकरण के लिए राष्ट्रीय मिशन
महतारी जतन योजना	किशोरियों के सशक्तिकरण के लिए राजीव गांधी योजना (सबला)
पौनी–पसारी योजना	प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना

लक्ष्य 6
सभी के लिए जल और स्वच्छता की उपलब्धता और सतत प्रबंधन सुनिश्चित करना

टारगेट -04 इंडीकेटर्स -10

6.1 2030 तक, सभी के लिए सुरक्षित और किफायती पेयजल के लिए सार्वभौमिक और समान पहुंच प्राप्त करना

- 6.1.1 पाइप जलापूर्ति (पीडब्ल्यूएस) के माध्यम से परिसर के भीतर सुरक्षित और पर्याप्त पेयजल प्राप्त करने वाली ग्रामीण आबादी का प्रतिशत
- 6.1.2 पाइप जलापूर्ति (पीडब्ल्यूएस) के माध्यम से परिसर के भीतर सुरक्षित और पर्याप्त पेयजल प्राप्त शहरी आबादी का प्रतिशत
- 6.1.3 एक बेहतर पेयजल स्रोत का उपयोग करने वाली ग्रामीण आबादी का प्रतिशत
- 6.1.4 बेहतर पेयजल स्रोत का उपयोग करने वाली शहरी आबादी का प्रतिशत

6.2 सभी के लिए पर्याप्त और समान स्वच्छता तक पहुंच प्राप्त करना और खुले में शौच को 2030 तक समाप्त करना, महिलाओं और लड़कियों और कमजोर स्थिति में लोगों की आवश्यकता पर विशेष ध्यान देना

- 6.2.1 शौचालय सुविधा वाले शहरी परिवारों का प्रतिशत
- 6.2.2 शौचालय सुविधा वाले ग्रामीण परिवारों का प्रतिशत
- 6.2.3 खुले में शौच मुक्त (ओडीएफ) लक्ष्य प्राप्त करने वाली ग्राम पंचायत (जीपी) का प्रतिशत

6.2.4 लड़कियों के लिए अलग शौचालय सुविधा वाले स्कूलों का अनुपात (प्रतिशत में)

6.3 2030 तक, सभी क्षेत्रों में पानी के उपयोग की दक्षता में पर्याप्त वृद्धि करना और पानी की कमी को दूर करने के लिए स्थायी निकासी और ताजे पानी की आपूर्ति सुनिश्चित करना और पानी की कमी से पीड़ित लोगों की संख्या को काफी कम करना

6.3.1 उपलब्धता के मुकाबले भूजल निकासी का प्रतिशत

6.4 2020 तक, पहाड़ों, जंगलों, आर्द्रभूमि, नदियों, जलभृतों और झीलों सहित पानी से संबंधित पारिस्थितिक तंत्रों की रक्षा और उन्हें पुनर्स्थापित करना

6.4.1 अधिक भूजल शोषित ब्लॉकों/मंडलों/तालुका का प्रतिशत

प्रमुख विभाग– लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग

महत्वपूर्ण योजनाएं एवं कार्यक्रम:

राज्य शासित महत्वपूर्ण योजना	केंद्र शासित योजना
मिनिमाता अमृतधारा योजना	अटल भूजल योजना (ABHY)
स्कूलों व आंगनबाडी केंद्रों में पेयजल व्यवस्था	जल जीवन मिशन (JJM)
अहिरन खारंगलिंक परियोजना	जल शक्ति अभियान (राष्ट्रीय जल संरक्षण योजना)
बोध घाट परियोजना	राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (एनआरडीडब्ल्यूपी)

राज्य शासित महत्वपूर्ण योजना	केंद्र शासित योजना
पौनी पसारी योजना	काया कल्प और शहरी परिवर्तन के लिए अटल मिशन (अमृत)
मुख्यमंत्री चलित संस्थान पेयजल योजना	स्मार्ट सिटी मिशन
ग्रामीण नल जल प्रदाय योजना	स्वच्छ भारत अभियान (ग्रामीण)
बहुल ग्राम जल प्रदाय योजना	स्वच्छ भारत मिशन (शहरी)
	भूजल प्रबंधन और विनियमन
	प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (पीएमकेएसवाई)
	जल संसाधन सूचना प्रणाली का विकास
	नदी बेसिन प्रबंधन
	राष्ट्रीय जल मिशन
	बाढ़ प्रबंधन और सीमा क्षेत्र कार्यक्रम
	राष्ट्रीय जल विज्ञान परियोजना
	राष्ट्रीय जल गुणवत्ता निगरानी कार्यक्रम (एनडब्ल्यूएमपी)
	बांध पुनर्वास और सुधार कार्यक्रम
	प्रधानमंत्री ग्राम सिंचाई योजना (पीएमजीएसवाई)
	राष्ट्रीय बाल स्वच्छता मिशन

राज्य शासित महत्वपूर्ण योजना	केंद्र शासित योजना
	प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना
	राष्ट्रीय नदी संरक्षण कार्यक्रम (एनआरसीपी)
	राष्ट्रीय जल गुणवत्ता उप–मिशन आर्सेनिक और फ्लोराइड पर

लक्ष्य 7
सभी के लिए किफायती, भरोसेमंद, सतत और आधुनिक ऊर्जा की उपलब्धता सुनिश्चित करना

टारगेट -01 इंडीकेटर्स -2

7.1 सस्ती, विश्वसनीय और आधुनिक ऊर्जा सेवाओं तक सार्वभौमिक पहुंच 2030 तक सुनिश्चित करें

7.1.1 विद्युतीकृत परिवारों का प्रतिशत

7.1.2 स्वच्छ रसोई ईंधन का उपयोग करने वाले परिवारों का प्रतिशत

प्रमुख विभाग– ऊर्जा विभाग, छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग

महत्वपूर्ण योजनाएं एवं कार्यक्रम:

राज्य शासित महत्वपूर्ण योजना	केंद्र शासित योजना
मुख्यमंत्री मजरा टोला विद्युतीकरण योजना	वरुण मित्र योजना
मुख्यमंत्री सौर सुजला योजना	राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना (आरजीजीवीवाई) (2018 में समाप्त)
आधी बिजली बिल योजना	दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (DDUGJY) (2019)
त्रि–साइकिल योजना	सहज बिजली हरघर योजना (शहरी)–सौभाग्य (स्क्रैप 2019)
मुख्यमंत्री शहरी विद्युतीकरण योजना	एकीकृत विद्युत विकास योजना (आईपीडीएस)
मुख्यमंत्री मजरा टोला विद्युतीकरण योजना	जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय सौर मिशन (जेएनएनएसएम)
	एमएनआरई रूफटॉप सोलर पावर प्लांट सब्सिडी योजना

लक्ष्य 8

सभी के लिए सतत, समावेशी और संधारनीय आर्थिक विकास, पूर्ण और लाभकारी रोजगार और उचित कार्य को बढ़ावा देना

टारगेट -02 इंडीकेटर्स - 05

8.1 युवा लोगों और विकलांग व्यक्तियों सहित सभी महिलाओं और पुरुषों के लिए 2030 तक पूर्ण और उत्पादक रोजगार और अच्छे काम और समान मूल्य के काम के लिए समान वेतन प्राप्त करना

8.1.1 कुलकार्यबल भागीदारी अनुपात (डब्ल्यूपीआर) (प्रति 100 की दर में)

8.1.2 श्रम बल भागीदारी दर (%) (15–59) वर्ष

8.2 सभी के लिए बैंकिंग, बीमा और वित्तीय सेवाओं तक पहुंच को प्रोत्साहित और विस्तारित करने के लिए घरेलू वित्तीय संस्थान की क्षमता को मजबूत करना

8.2.1 प्रति 1,00,000 जनसंख्या पर बैंकिंग आउटलेट की संख्या

8.2.2 प्रति 1,00,000 जनसंख्या पर स्वचालित टेलर मशीन

8.2.3 महिला खाताधारकों का अनुपात PMJDY

प्रमुख विभाग– कौशल विकास, तकनीकी शिक्षा एवं रोजगार विभाग, जनशक्ति नियोजन विभाग, श्रम विभाग, वाणिज्य एवं उद्योग तथा सार्वजनिक उपक्रम विभाग, पयर्टन विभाग, समाज कल्याण विभाग, महिला एवं बाल विकास विभाग

महत्वपूर्ण योजनाएं एवं कार्यक्रम:

राज्य शासित महत्वपूर्ण योजना	केंद्र शासित योजना
मुख्यमंत्री हाट बाजार क्लिनिक योजना	प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर की आत्मनिर्भर निधि (पीएम स्वानिधि) योजना
राजीव गांधी किसान न्याय योजना (आरजीकेएनवाई)	आत्मनिर्भर कुशल कर्मचारी नियोक्ता मानचित्रण (असीम)
मुख्यमंत्री वार्ड कार्यालय योजना	प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्यमों का औपचारिकरण (पीएम एफएमई) योजना
मुख्यमंत्री शहरी आजीविका मिशन (डन्स्ड)	सहकार मित्र योजना
मुख्यमंत्री समग्र ग्रामीण विकास योजना	स्वदेश कौशल कार्ड योजना
मुख्यमंत्री कौशल विकास योजना	प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना
मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना	वरुण मित्र योजना
सभी जिलों में आजीविका कॉलेज	डिजिटल ग्राम योजना – डिजी गांव परियोजना
	उन्नत भारत अभियान
	वनधन योजना
मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना	महिला उद्यमिता योजना
	प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना
	मॉडल कैरियर केंद्र
	राष्ट्रीय सेवा योजना (एनएसएस)
	कौशल विकास मिशन

राज्य शासित महत्वपूर्ण योजना	केंद्र शासित योजना
	विकलांग व्यक्तियों के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम
	राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (एनएसएपी) – इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विकलांगता पेंशन (आईजीएनडीपी)
	महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा)
	एकीकृत बाल संरक्षण योजना (आईसीपीएस)
	शहरी आजीविका मिशन
	राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना सहित असंगठित कामगारों के लिए सामाजिक सुरक्षा
	स्टैंड–अप इंडिया योजनाएं
	प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना
	दीनदयाल अंत्योदय योजना–राष्ट्रीय

लक्ष्य 9
सुदृढ़ अधोसंरचना के निर्माण से समावेशी एवं सतत औद्योगीकरण व नवाचार को प्रोत्साहन देना
टारगेट -02 इंडीकेटर्स -02

9.1 आर्थिक विकास और मानव कल्याण का समर्थन करने के लिए गुणवत्ता, विश्वसनीय, टिकाऊ और लचीला बुनियादी ढांचे का विकास जिसमे अंतर क्षेत्रीय बुनियादी ढांचे सहित सभी के लिए सस्ती और समान पहुंच की सुविधा हो

9.1.1 प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत निर्मित सभी मौसम सड़कों से जुड़े लक्षित बस्तियों का प्रतिशत

9.2 समावेशी और सतत औद्योगीकरण को बढ़ावा देना और, 2030 तक, राष्ट्रीय परिस्थितियों के अनुरूप, रोजगार और सकल घरेलू उत्पाद में उद्योग की हिस्सेदारी को महत्वपूर्ण रूप से बढ़ाना, और कम से कम विकसित देशों में अपनी हिस्सेदारी को दोगुना करना

9.2.1 कुल रोजगार के अनुपात के रूप में विनिर्माण रोजगार का प्रतिशत

प्रमुख विभाग– वाणिज्य एवं उद्योग तथा सार्वजनिक उपक्रम विभाग, ग्रामोद्योग विभाग

महत्वपूर्ण योजनाएं एवं कार्यक्रम:

राज्य शासित महत्वपूर्ण योजना	केंद्र शासित योजना
फूड पार्क योजना	प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योगाना (पीएमजीएसवाई)
वन–धन केंद्र	आत्मानिर्भर कुशल कर्मचारी नियोक्ता मानचित्रण (असीम)
लघु वनोपज प्रसंस्करण इकाई	प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना
मुख्यमंत्री सुगम सड़क योजना	डिजिटल ग्राम योजना – डिजी गांव परियोजना
मुख्यमंत्री धर्म विकास योजना	ड्राइविंग प्रशिक्षण केंद्र (डीटीसी) योजना
जवाहरलाल सेतु योजना	सेंट्रल रोड फंड
	वामपंथी उग्रवाद क्षेत्रों में सड़क पुनर्निर्माण योजना

लक्ष्य 10
असमानता कम करना
टारगेट -02 इंडीकेटर्स -03

10.2 उम्र, लिंग, विकलांगता, नस्ल, जातीयता, मूल, धर्म या आर्थिक या अन्य स्थिति के बावजूद सभी को 2030 तक सशक्त और सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक समावेश प्रदान करना

10.2.1 स्थानीय निर्वाचित निकायों में अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों का अनुपात

10.2.2 धन सूचकांक के अनुसार निचले दो क्वाइंटाइल में जनसंख्या का प्रतिशत

10.2 वेतन और सामाजिक सुरक्षा नीति और उत्तरोत्तर बेहतर समानता प्राप्त करना विशेष रूप से वित्तीयनीतियों को अपनाना

10.2.1 अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के खिलाफ कुल अपराध की दर

प्रमुख विभाग– समाज कल्याण विभाग, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति विभाग, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग

महत्वपूर्ण योजनाएं एवं कार्यक्रम:

राज्य शासित महत्वपूर्ण योजना	केंद्र शासित योजना
मुख्यमंत्री वार्ड कार्यालय योजना	अफोर्डेबल रेंटल हाउसिंग कॉम्प्लेक्स (एआरएचसी) योजना
राजीव गांधी किसान न्याय योजना (आरजीकेएनवाई)	प्रधानमंत्री आदर्शग्राम योजना (पीएमएजीवाई)
अनुसूचित जाति विकास प्राधिकरण	प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम (पीएमजेवीके)
मुख्यमंत्री पंचायत सशक्तिकरण योजना	ट्रांस–जेंडर के लिए अम्ब्रेला योजना
मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना	विकलांग व्यक्तियों के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम
मुख्यमंत्री समग्र ग्रामीण विकास योजना	प्रधानमंत्री आवास योजना–ग्रामीण (पीएमएवाई–जी)
	अल्पसंख्यकों के लिए बहु क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम
	अनुसूचित जाति के विकास के लिए योजना
	अन्य पिछड़ा वर्ग और विमुक्त खाना बदोश और अर्ध–घुमंतू के विकास के लिए योजना
	राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा योजना
	सुगम्य भारत अभियान
	दीनदयाल निशक्तजन पुनर्वसन कार्यक्रम
	श्यामा प्रसाद मुखर्जी रुर्बन मिशन चौदहवां वित्त आयोग

लक्ष्य 11
शहरों एवं मानव बस्तियों को समावेशी, सुरक्षित एवं सहनशील तथा सतत बनाना
टारगेट -03 इंडीकेटर्स -07

11.1 सभी के लिए 2030 तक पर्याप्त, सुरक्षित और किफायती आवास और बुनियादी सेवाओं तक पहुंच सुनिश्चित कर मलिन बस्तियों का उन्नयन

11.1.1 मलिन बस्तियों, अनौपचारिक बस्तियों या अपर्याप्त आवास में रहने वाली शहरी आबादी का अनुपात

11.1.2 कच्चे घरों में रहने वाले शहरी परिवारों का प्रतिशत

11.2 सभी के लिए 2030 तक सुरक्षित, सस्ती, सुलभ और टिकाऊ परिवहन प्रणालियों तक पहुंच प्रदान करना, सड़क सुरक्षा में सुधार करना, विशेष रूप से सार्वजनिक परिवहन का विस्तार करके, कमजोर परिस्थितियों में लोगों, महिलाओं, बच्चों, विकलांग,वृद्ध व्यक्ति व्यक्तियों की जरूरतों पर विशेष ध्यान देना।

11.2.1 सड़क दुर्घटनाओं में मारे गए लोग (प्रति 1,00,000 जनसंख्या)

11.3 वायु गुणवत्ता और नगरपालिका और अन्य अपशिष्ट प्रबंधन पर विशेष ध्यान देकर 2030 तक शहरों में प्रति व्यक्ति पर्यावरणीय प्रभाव को कम करना

11.3.1 घर–घर 100%कचरा संग्रहण वाले वार्डों का प्रतिशत

11.3.2 जल निकासी सुविधा वाले शहरी क्षेत्रों का प्रतिशत (आच्छादित)

11.3.3 उत्पन्न MSW के विरुद्ध उपचारित नगरपालिका ठोस अपशिष्ट (MSW) का प्रतिशत

11.3.4 शहरी क्षेत्र में उत्पन्न सेप्टेज के अनुपात के रूप में स्थापित सेप्टेज उपचार क्षमता

प्रमुख विभाग– नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग, आवास एवं पर्यावरण विभाग, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन, पुनर्वास विभाग, गृह विभाग, परिवहन विभाग

महत्वपूर्ण योजनाएं एवं कार्यक्रमः

राज्य शासित महत्वपूर्ण योजना	केंद्र शासित योजना
नवा रायपुर अटल नगर विकास प्राधिकरण	प्रधानमंत्री आवास योजना (पीएमएवाई)
मिशन क्लीन सिटी	अफोर्डेबल रेंटल हाउसिंग कॉम्प्लेक्स (एआरएचसी) योजना
परिवहन नगर योजना	कायाकल्प और शहरी परिवर्तन के लिए अटल मिशन (अमृत)
छत्तीसगढ़ रियल एस्टेट नियामक प्राधिकरण (रेरा)	अभिलेखीय भंडार सरकारके लिए वित्तीय सहायता। पुस्तकालय और संग्रहालय
मुख्यमंत्री ग्राम गौरव पथ योजना	विरासत शहर विकास और विस्तार योजना (हृदय)
पौनी–पसारी योजना	राष्ट्रीय चक्रवात जोखिम शमन परियोजना (एनसीआरएमपी)
भागीरथी नल–जल योजना	स्वच्छ भारत मिशन –शहरी (एसबीएम – यू)

राज्य शासित महत्वपूर्ण योजना	केंद्र शासित योजना
उन्मुक्त खेल मैदान योजना	राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता निगरानी कार्यक्रम (एनएएमपी)
पुष्प वाटिका उद्यान योजना	प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना (पीएमएजीवाई)
	विकलांग व्यक्तियों केलिए राष्ट्रीय कार्यक्रम

लक्ष्य 12
स्थाई उपभोग और उत्पादन प्रणाली को सुनिश्चित करना

टारगेट -02 इंडीकेटर्स -06

12.1 अपने पूरे जीवन चक्र में रसायनों और सभी कचरे का 2020 तक पर्यावरणीय रूप से सहमत अंतरराष्ट्रीय ढांचे के अनुसार, प्रबंधन करें और मानव स्वास्थ्य और पर्यावरण पर उनके प्रतिकूल प्रभावों को कम करने के लिए हवा, पानी और मिट्टी में उनकी रिहाई को काफी कम करें।

12.1.1 कुल एन, पी, के, (नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम) में से नाइट्रोजन उर्वरक का प्रतिशत उपयोग

12.2 रोकथाम, कमी, पुनर्चक्रण और पुनरूउपयोग के माध्यम से 2030 तक अपशिष्ट उत्पादन को काफी हद तक कम करना

12.2.1 प्रति व्यक्ति पर्यावरण प्रतिकूल अपशिष्ट की मात्रा

12.2.2 उत्पन्न कुल पर्यावरण प्रतिकूल अपशिष्ट के अनुपात के रूप में पुनर्चक्रित पर्यावरण प्रतिकूल अपशिष्टका प्रतिशत

12.2.3 प्रति व्यक्ति (ग्राम में) शहरी क्षेत्रों में उत्पन्न प्लास्टिक कचरा

12.2.4 उत्पादित बीएमडब्ल्यू की कुल मात्रा के बराबर उपचारित बीएमडब्ल्यू का अनुपात

12.2.5 शत प्रतिशत स्त्रोत पृथक्करण वाले वार्डों का प्रतिशत

प्रमुख विभाग– वन विभाग, खनन विभाग, खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, कृषि एवं जैव प्रौद्योगिकी विभाग, वाणिज्य एवं उद्योग तथा सार्वजनिक उपक्रम विभाग, पर्यटन विभाग, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग

महत्वपूर्ण योजनाएं एवं कार्यक्रम:

राज्य शासित महत्वपूर्ण योजना	केंद्र शासित योजना
यूनिवर्सल पीडीएस सब्सिडी खाद्यान्न योजना	पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना
राजीव गांधी किसान न्याय योजना (आरजीकेएनवाई)	खाद्य सुरक्षा मित्र योजना
शाकंभरी योजना	किसान ऊर्जा सुरक्षा और उत्थान महाभियान – कुसुम योजना
चिराग योजना	फसल अवशेष प्रबंधन केलिए कृषि यंत्रीकरण प्रोत्साहन योजना
गौ धन न्याय योजना	मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना
सूक्ष्म लघु सिंचाई योजना	परंपरागत कृषि विकास योजना (पीकेवीवाई) – सतत कृषि के लिए राष्ट्रीय मिशन (एनएमएसए)
किसान समग्र विकास योजना	अन्नपूर्णा योजना
	राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन
	स्वच्छ भारत मिशन –शहरी (एसबीएम–यू)
	गोबर धन योजना (जैविक जैव–कृषि संसाधन धन को गैल्वनाइजिंग)
	सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट
	प्रधानमंत्री जी–वन योजना

लक्ष्य 13
जलवायु परिवर्तन और इसके प्रभाव से निपटने के लिए तत्काल कार्यवाई करना

टारगेट -02 इंडीकेटर्स -02

13.1 सभी देशों में जलवायु से संबंधित खतरों और प्राकृतिक आपदाओं के लिए लचीलापन और अनुकूल क्षमता को मजबूत करना

13.1.1 प्रति 1,00,000 जनसंख्या पर अत्यधिक जलवायु के कारण होने वाली मौतों की संख्या

13.2 जलवायु परिवर्तन के उपायों को राष्ट्रीय नीतियों, रणनीतियों और योजना में एकीकृत करें

13.2.1 प्रति 1000 जनसंख्या पर एलईडी बल्बों से बचाए गए CO_2 की मात्रा

प्रमुख विभाग– आवास एवं पर्यावरण विभाग, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन, पुनर्वास विभाग, वन विभाग, गृह विभाग, कृषि एवं जैव प्रौद्योगिकी विभाग, इलेक्ट्रोनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग

महत्वपूर्ण योजनाएं एवं कार्यक्रम:

राज्य शासित महत्वपूर्ण योजना	केंद्र शासित योजना
छत्तीसगढ़ जैव ईंधन विकास योजना	जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना
जलवायु परिवर्तन के लिए छत्तीसगढ़ राज्य कार्य योजना (एसएपीसीसी)	सतत पर्यावास के लिए राष्ट्रीय मिशन

राज्य शासित महत्वपूर्ण योजना	केंद्र शासित योजना
ग्रामीण कृषि मौसम सेवा (जीकेएमएस)	राष्ट्रीय वनरोपण कार्यक्रम
नरवा गरवा घुरवा बाडी	हरित भारत के लिए राष्ट्रीय मिशन
सौर सुजला योजना	वन प्रबंधन की गहनता
पौध संरक्षण योजना	जलीय पारिस्थितिकी तंत्र के संरक्षण के लिए राष्ट्रीय योजना
	सामुदायिक संस्थागत और रात्रि मृदा आधारित बायो गैस संयंत्र कार्यक्रम।
	बायोमास उत्पादन रूपांतरण और उपयोग कार्यक्रम
	जल शक्ति अभियान (राष्ट्रीय जल संरक्षण योजना)
	उन्नत भारत अभियान
	सतत कृषि के लिए राष्ट्रीय मिशन

लक्ष्य 15

वन, वन्य जीवन एवं जलीय निकायों का संरक्षण, पुनर्स्थापन तथा जमीनी पर्यावर्णीय तंत्र का सतत उपयोग

टारगेट -02 इंडीकेटर्स -02

15.1 सभी प्रकार के वनों के सतत प्रबंधन के कार्यान्वयन को 2020 तक बढ़ावा देना, वनों की कटाई को रोकना, नष्ट हुए वनों को बहाल करना और वैश्विक स्तर पर वनीकरण और पुनर्वनीकरण में पर्याप्त वृद्धि करना

15.1.1 विभिन्न वनीकरण योजनाओं के तहत कवर किया गया कुल क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) प्रतिशत में

15.2 वनस्पतियों और जीवों की संरक्षित प्रजातियों के अवैध शिकार और तस्करी को समाप्त करने के लिए तत्काल कार्रवाई करें और अवैध वन्यजीव उत्पादों की मांग और आपूर्ति दोनों को संबोधित करें

15.2.1 वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972 के तहत दर्ज मामलों की संख्या

प्रमुख विभाग– वन विभाग, मछली पालन विभाग, कृषि एवं जैव प्रौद्योगिकी विभाग, आवास एवं पर्यावरण विभाग

महत्वपूर्ण योजनाएं एवं कार्यक्रम:

राज्य शासित महत्वपूर्ण योजना	केंद्र शासित योजना
नरवा गरवा घुरवा बारी	राष्ट्रीय वनरोपण कार्यक्रम (एनएपी)
हरियाली प्रसार योजना	ग्रीन इंडिया मिशन (जीआईएम)
तेंदूपत्ता कार्यकर्ता सामाजिक सुरक्षा योजना	वन आग रोकथाम औरप्रबंधन (एफपीएम)
मगरमच संरक्षण योजना	राष्ट्रीय बांस मिशन (छठड)
लाख विकास योजना	हाथी प्रबंधन परियोजना
जलवायु परिवर्तन के लिए छत्तीसगढ़ राज्य कार्य योजना (एसएपीसीसी)	वन्यजीव आवासों का एकीकृत विकास
मुख्यमंत्री बांस विकास योजना	सतकोसिया टाइगर रिजर्व
पौध संरक्षण योजना	सिमिलिपाल टाइगर रिजर्व
अपराध और आपराधिक ट्रैकिंग नेटवर्क सिस्टम	सिमिलिपाल बायोस्फीयर रिजर्व
नदी तट योजना	राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन – चावल परती क्षेत्रों (दालों) को लक्षित करना
	धान के परती क्षेत्रों को लक्षित करना – तिलहन

लक्ष्य 16

सतत विकास और सबको न्याय की पहुच देने सभी स्तरों पर प्रभावी, जवाबदेही एवं समावेशी समाज को बढ़ावा देना

टारगेट -04 इंडीकेटर्स -08

16.1 बच्चों के खिलाफ दुर्व्यवहार, शोषण, तस्करी और सभी प्रकार की हिंसा को समाप्त करना

16.1.1 वर्ष के दौरान बच्चों के खिलाफ किए गए अपराध का अनुपात, (प्रति 1,00,000 बच्चे)

16.1.2 प्रति 1,00,000 जनसंख्या पर लापता बच्चों की संख्या

16.1.3 प्रति 1,00,000 जनसंख्या पर मानव तस्करी से बचाए गए पीड़ितों की संख्या

16.3 राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कानून के शासन को बढ़ावा देना और सभी के लिए न्याय तक समान पहुंच सुनिश्चित करना

16.3.1 प्रति 1,00,000 जनसंख्या पर अदालतों की संख्या

16.2 भ्रष्टाचार और रिश्वतखोरी को उनके सभी रूपों में पर्याप्त रूप से कम करना

16.2.1 प्रति 1,00,000 जनसंख्या पर भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम और आईपीसी की संबंधित धारा के तहत रिपोर्ट किए गए मामले

16.3 जन्म पंजीकरण सहित सभी के लिए कानूनी पहचान 2030 तक प्रदान करें

16.3.1 पंजीकृत शुद्ध जन्मों का प्रतिशत

16.3.2 पंजीकृत शुद्ध मृत्यु का प्रतिशत

16.3.3 आधार कार्ड वाली जनसंख्या का प्रतिशत

प्रमुख विभाग– छत्तीसगढ़ मानव अधिकार आयोग, जन शिकायतनिवारण विभाग गृह विभाग, विधि एवं विधायी कार्य विभाग, योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग, समाज कल्याण विभाग, महिला एवं बाल विकास विभाग

महत्वपूर्ण योजनाएं एवं कार्यक्रम:

राज्य शासित महत्वपूर्ण योजना	केंद्र शासित योजना
मुख्यमंत्री वार्ड कार्यालय योजना	पंचायत युवा क्रीड़ा और खेल अभियान (पीवाईकेकेए)
अपराध और आपराधिक ट्रैकिंग नेटवर्क सिस्टम	ग्राम न्यायालयों सहित न्यायपालिका के लिए बुनियादी सुविधाओं का विकास
राज्य बाल संरक्षण आयोग	एकीकृत बाल संरक्षण योजना (आईसीपीएस)
विधायक आदर्श ग्राम योजना	पुलिस बल का आधुनिकीकरण (एमपीएफ)
मुख्यमंत्री पंचायत सशक्तिकरण योजना	वामपंथी उग्रवाद सेसर्वाधिक प्रभावित 35 जिलों के लिए विशेष केंद्रीय सहायता (एससीए)
मुख्यमंत्री समग्र ग्रामीण विकास योजना	वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित राज्यों में 250 अधिसूचित पुलिस स्टेशनों सहित विशेष बुनियादी ढांचायोजना (एसआईएस)
	सुरक्षा संबंधी व्यय (एसआरई)

राज्य शासित महत्वपूर्ण योजना	केंद्र शासित योजना
	ग्राम न्यायालयों की स्थापना
	राष्ट्रीय ई–सरकार कार्य योजना (एनईजीएपी)
	मिशन रक्षा ज्ञानशक्ति

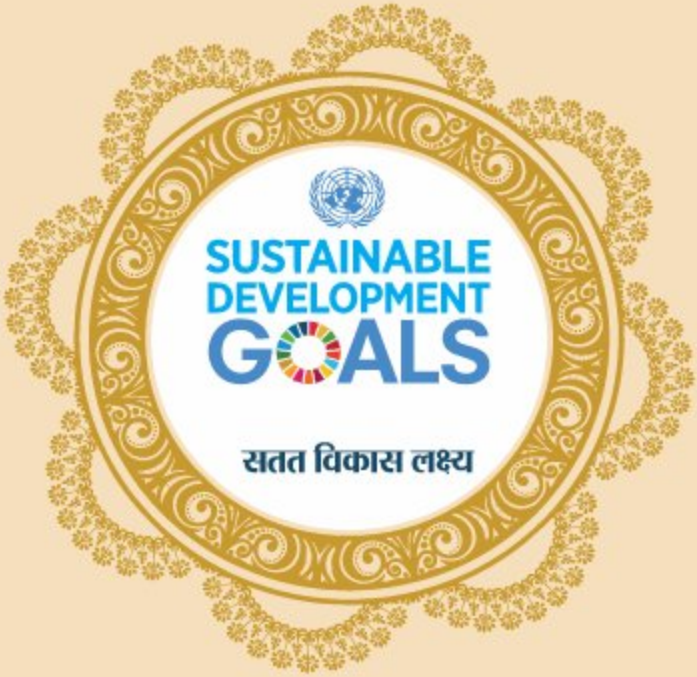

CHHATTISGARH
STATE PLANNING COMMISSION

Yojana Bhawan, Sector-19, North Block,
Nawa Raipur Atal Nagar, C.G. Phone : 0771-2511223,
Website: www.spc.cg.gov.in, E-mail: ms.cgspc@gov.in